

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला मंडल (राज.)**

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आईएलओआर  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार उपरोक्त पत्रिका में प्रमाणित की जा चुकी है कि आवेदन पत्र में उल्लिखित गाँव के नाम और क्षेत्र के नाम सही हैं।  
 आवेदन पत्र में उल्लिखित गाँव के नाम सही हैं। आवेदन पत्र में उल्लिखित क्षेत्र के नाम सही हैं। आवेदन पत्र में उल्लिखित क्षेत्र के नाम सही हैं।  
 आवेदन पत्र में उल्लिखित गाँव के नाम सही हैं। आवेदन पत्र में उल्लिखित क्षेत्र के नाम सही हैं। आवेदन पत्र में उल्लिखित क्षेत्र के नाम सही हैं।

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम डुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम डुरुस्त किये जाने की अभियांता की जाती है/नहीं की जाती है।

**डुरुस्त फिल्म जगल उचित है**

**प्रशासन गावों के संग अभियान 2021**


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुं (राज.)

दिनांक :- 9/11/2021

प्रार्थी के "खाता डुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, सत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं वहीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सिंगौर	2075-78	55	फरकिन्द पुत्र श्रीराम	फरकिन्द कुमार लैन पुत्र श्रीराम लैन

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की मालना की जावे।

  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 दिनांक :- 9-11-21

उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।  
 को सूचनाार्थ।  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

